7/00/16

प.क

NO. 326 PADC & ACS/1

/PA/ENC/RES

/विधिक / 22 / वि-3 / ग्रायासे / 2015

विकास आयुक्त कार्यालय विकास शाखा–3 (विधिक कक्ष) अनिल मेहरा उपयंत्री अधीक्षक–भी अनिल उरकुढे प्रमारी अधि. का नाम–श्री ए.के. संतोषी

विषयः-रिट पिटीशन क्रमांक 8422/2015 मेसर्स मंजू कन्ट्रक्शन कंपनी शिवपुरी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने बावत्।

कृपया विषयांतर्गत अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल ग्वालियर से प्राप्त क्रमांक 35 दिनांक 06.01.2016 का अवलोकन करना चाहेगे। पत्र के माध्यम से प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने का लेख किया गया है। प्रकरण निविदा से संबंधित है। याचिका की प्रति अप्राप्त है।

प्रकरण में प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, प्रमुख अभियंता, ग्रायांसे विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल एवं अधीक्षण यंत्री, ग्रायांसे मंडल ग्वालियर को प्रतिवादी बनाया है। प्रकरण में अधीक्षण यंत्री, ग्रायांसे मंडल ग्वालियर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना उचित होगा। अनुमोदनार्थ।

अधीक्षण यंत्री (स्था.)

Also 2013munu |
pe pero

Enc RES

Deecy

Secretary
Gove of M.P.
cheya & Rural Dev.

Soull !

अनिरुद्ध ड प्रमुखअभियुद्ध

Shopal Date of told dark learn to proceed the control of the contr

No. -611 SPAJENCIRES IN CKI

17

Secretary Govt. of M.P.

Secretary Govt. of M.P.

Achayat & Rural Dev. Deptt.

leulsh 19102

175



7/10/16

पक्र

/विधिक / 22 / वि-3 / ग्रायासे / 2015

विकास आयुक्त कार्यालय विकास शाखा–3 (विधिक कक्ष) अनिल मेहरा उपयंत्री अधीक्षक–श्री अनिल उरकुडे प्रमारी अधि. का नाम–श्री ए.के. संतोषी

विषयः-रिट पिटीशन क्रमांक 8422/2015 मेसर्स मंजू कन्ट्रक्शन कंपनी शिवपुरी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने बावत्। प्रव प्रक से गारी करने हें नहनी D-18 शापा के प्राप्ता के प्राप्ता के 198 / Floral आदिय प्राक्त केन्छ उप विचिव भागविग्वि

一 中,两

विषय:- रिट पिटीशन क्र. 8422/2015 मैसर्स मंजू कन्ट्रक्शन कंपनी शिवपुरी विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य ।

पूर्व पृष्ठ से.....

विभागीय आदेश क्र. 2848 दिनांक 01.03.16 द्वारा रिट पिटीशन क्र. 8422/2015 िट्पिन मैसर्स मंजू कन्ट्रक्शन कंपनी शिवपुरी विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में अधीक्षण यंत्री, ग्रा.यां.से. मण्डल ग्वालियर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। <u>प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु नस्ती विधि विभाग को अंकित क्रिया जाना प्रस्तावित है।</u>

संयुक्त आयुक्त (विधि)

उप सिविव

Dy. Secy. (Low)

413/10

4.3-16

DATE. \$ 3-2016

D:\Kanchan D16\other res notesheet.doc



पक /22/वि-18/विधि प्रकोधः/2016

विकास आयुक्त कार्यालय विकास रूपदा 18 (विधि प्रकोध्त) सहायक - श्रीमटी कंचन मोहन्मनी प्रकारी - श्री आर.एस. सक्सैना प्रमारी अधि, का नाम-श्री सजेन्द्र सिंह +->

विषय:-	रिट पिटीशन क्र. 8422/2015 मैसर्स मंजू कन्ट्रक्शन कंपनी शिवपुरी विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य ।		
पूर्व पृष्ठ से			
	•		
:			

## मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

॥ आदेश ॥

क्रमांक/ <sup>7848</sup> /22/वि-16/वि.प्र./2016

भोपाल, दिनांक º//0**2**/2016

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्यक-5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अधीक्षण यंत्री, ग्रा.यां.से. मण्डल ग्वालियर को मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में रिट पिटीशन क. 8422/2015 मैसर्स मंज् कन्ट्रक्शन कंपनी शिवपुरी विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में म0प्र0 राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनो पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा आवेदन करने और उप संजात होने के लिए नियुक्त करते है प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्त के तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ निम्नलिखित कार्य करेगा:-

- 1- प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के आदि में तुरंत ऐसी जांच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका/वाद पत्र में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभावक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उसकी राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।
- 2- समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- 3- वाद पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिससे कि शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- 4- उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- 5- शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन तैयार कर सकेगा।
- 6- प्रभारी अधिकारी निम्नितिखित कागजात/पत्र भेजे :-
  - वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकारी की एक रिपोर्ट।
  - ख. प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
  - ग. उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना और जिनकी रिपोर्ट में उपेक्षा की गई है।
  - मामले के निराकरण के लिए आवश्यक कागजातों/पूत्रों की प्रक्रिया इसमें ,वाद की सुनवाई की तारिख भी वर्णित होना चाहिये।
- 7- मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता को सहयोग करने और मामले, उसके प्रक्रम और प्रगति में नित्य किये गये कर्त्तव्यों में स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- 8- जब भी कोई आदेश/निर्देश विर्निष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है। तब विधि विभाग को सूचित करना और उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- 9- यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने एवं राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट न हो।

- 10- अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेगा।
- 11- जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है। अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात तब तक प्रभारी बना रहेगा तब तक कि अन्य प्रभारी की नियुक्ति न कर दी जाये।
- 12- प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपा हुआ न रह जाये।
- 13- न्यायालय दवारा प्रकरण में अंतिम रूप से आदेश पारित किये जाने पर प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह तत्काल आदेश का अध्ययन कर उन बिन्दुओं को अलग से छांटे जिन पर कार्यवाही की जाकर पालन प्रतिवेदन किस विनिदिष्टि दिनांक तक न्यायालय को किया जाना है। तत्पश्चात प्रभारी अधिकारी लिखित में शासन को अथवा उस सक्षम अधिकारी का जहां से आवश्यक कार्यवाही की जाना है। ध्यान आकर्षित करायेगा एवं निश्चित समयाविध में न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेगा।

(एस.आर. चौधरी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पु.क., 12849 /22/वि-16/वि.प./2016 प्रतिलिपि:

भोपाल, दिनांक 01/02/2016


- अतिरिक्त महाधिवक्ता, खण्डपीठ ग्वालियर, म.प्र. ।
- 2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग म.प्र. भोपाल।
- आयुक्त, ग्वालियर संभाग म.प्र.।
- 4. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, म.प्र. भोपाल।
- 5. प्रभारी अधिकारी, अधीक्षण यंत्री, ग्रा.यां.से. मण्डल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् अग्रेषित। कृपया प्रकरण में अधिकरण से संपर्क कर उपस्थिति प्रमाण पत्र, प्रगति रिपोर्ट तथा अपनी प्रत्येक भेंट पर शासकीय अधिवक्ता से आगामी कार्यवाही हेत् सलाह करने तथा मामले में प्रगति रिपोर्ट के साथ जवाबदावा प्रस्तुत कर शासन को भेजने हेत् अग्रेषित।

उप सचिव गार्था

मध्यप्रदेश शासन

पंचायूत/एवं ग्रामीण विकास विभाग

010



## IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: Bench at **GWALIOR**

Process Id: 178/2016

WP/8422/2015

From

Deputy Registrar, High Court of MP Bench at Gwalior

विकास आयक्त FOR ADMISSION भोपाल (न. Fixed for 08-02-2016

DA- 03

Respondent No. 2

RAD

To,

अधिकृष्ण् यंत्री (स्था.)

The Engineer-in-Chief, Rural Engineering Services.

Development Commissioner's Office, Bhopal, District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Gwalior 05-01-2016

Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 8422/ 2015

I am directed to inform you that one M/s Manju Costruction Co. Thr has filed a petition under Article 226/227 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/8422/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 08-02-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court) Encl: Copy of Petition

AFFIXED AT GWALIOR

A REL

Your faithfully

SECTION OFFICER

Section Officer High Court Of Madhya Pradesis Bench Gwalior